# न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

**अपील संख्या 360/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00282)**

1. सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिह, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
2. उप सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

**–अपीलान्टस**

**बनाम**

1. भागीरथ पुत्र पन्ना, कौम मीणा, नि. मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

1/1. नोरत पुत्र भागीरथ, कौम मीणा, नि. मण्डाभीमसिंह, तह. किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

1/2. भगवान सहाय पुत्र भागीरथ, कौम मीणा, नि. मण्डाभीमसिंह, तह. किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ।

–रेस्पोडेन्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 सपठित धारा 9 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय प्रार्थना पत्र संख्या 38/2016 उनवानी सरकार बनाम भागीरथ पुत्र पन्ना, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर निर्णय दिनांक 28.06.2018**

उपस्थित–

1. श्री बी.एल. वर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 2 की ओर से
3. श्री संजय शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

**निर्णय**

**दिनांक –05.03.2024**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 28.06.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृ ा प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के अन्तर्गत ग्राम मण्डाभीमसिंह के आराजी खसरा नम्बर 259 रकबा 18 बिस्वा किता 1 रकबा 18 बिस्वा भूमि के आंवटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया था, अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने निर्णय दिनांक 28.06.2018 से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक प्रकरण में नियम 14(4) के प्रावधान लागू नही होने एवं वर्तमान में दर्ज खातेदारी अधिकारों के इन्द्राज का विलोपन के लिए नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिह, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय परगना अधिकारी सांभरलेक के आदेश क्रमांकः विविध (82) 779 दिनांक 26.08.1982 के द्वारा आंवटन कमेटी दिनांक 28.05.1975 के निर्णय अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर नामान्तरकरण संख्या 635 दिनांक 06.07.1984 द्वारा सिवाय चक से खातेदारी भागीरथ वल्द पन्ना कौम मीणा सा. देह को पुनः दर्ज करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 28.06.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 259 रकबा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर की भूमि रेस्पोंडेन्टस के पूर्वज भागीरथ वल्द पन्ना मीणा के नाम अंकित चली आ रही थी जिसे नियमानुसार समर्पण के दौरान नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 16/09/1962 के अन्तर्गत सिवाय चक अंकित की गई थी जिसे तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुये अपने आदेश क्रमांक विविध (82)/779 दिनांक 26/08/1982 के अन्तर्गत नियमों के विपरीत वापिस काश्तकार के नाम अंकित किये जाने के आदेश पारित कर दिये। मौके पर इस भूमि पर वन विभाग द्वारा सघन वृक्षारोपण किया हुआ है एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के अन्तर्गत वन विभाग के भूमि अन्य उपयोग में नहीं आ सकती । उपरोक्त कार्यवाही के विरूद्ध आम जनता बनाम भागीरथ व अन्य के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र संख्या 38/2016 राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत उपरोक्त विधि विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं भूमि वापिस सिवाय चक अंकित किये जाने के लिये प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 28/06/2018 को निर्णय पारित किया जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ ने 34 वर्ष का असाधारण विलम्ब मानते हुए समर्पण की कार्यवाही को अस्वीकार करके आरटीए की धारा 63 के लिये सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही हेतु तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश पारित किये। उपरोक्त मामले में जो आदेश दिनांक 28/06/2018 को पारित किये गये हैं उसकी प्रतिलिपि दिनांक 07/08/2018 को मिली है एवं इसकी जानकारी दिनांक 07/08/2018 को ही हुई है अतः दिनांक 28/06/2018 से 1 माह की अवधि में यानि 28/08/2018 तक यह अपील प्रस्तुत की जानी थी लेकिन अपीलान्टस के माह अगस्त–सितम्बर में रामदेवरा एवं हरियाणा में धार्मिक यात्राओं में जाने के कारण यह अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की गई अतः इस अपील की प्रस्तुति में जो 1 माह करीब का जो विलम्ब हुआ है उसे न्याय हित में कण्डोन किया जावे जिसके लिये प्रार्थना पत्र देरी माफी इस अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि उपरोक्त आदेश को निम्न आधारों पर चुनौती दी जा रही है:–

(अ) यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(4) के अन्तर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है एवं कोई भी व्यक्ति अवैधानिक कार्यवाही को इस प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसके अन्तर्गत यह कार्यवाही की गई है उसमें समय सीमा की कोई पाबन्दी नहीं है ।

(ब) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आरटीए की धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश पारित किये गये हैं जिसका कोई विधिक कारण व प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है इसलिये उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

(स) यह कि काश्तकार भागीरथ पुत्र पन्ना के समर्पण की कार्यवाही को अधूरा मानते हुए जो आदेश दिये है वो निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि यह भूमि 1962 से लेकर 1982 तक एवं 1982 से लेकर आज तक कभी खेती के उपयोग व उपभोग में नहीं आयी एवं मौके पर वन विभाग द्वारा सघन वृक्षारोपण के अन्तर्गत आने के कारण यह भूमि नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 16/09/1962 के अन्तर्गत समर्पित की जा चुकी थी एवं मौके पर कृषि उपयोग में नहीं आ रही थी फिर भी अधीनस्थ अदालत ने कृषि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत इस प्रकरण को न मानकर कानून एवं विधि विधान का उल्लंघन किया है इस कारण आदेश दिनांक 25/06/2018 अपास्त किये जाने योग्य है ।

(द) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28/06/2018 के पैरा 5 के सब पैरा–3 में यह स्वीकार किया है कि वन अधिकारी दूदू की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में पौधारोपण की स्थिति का वर्णन किया गया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28/06/2018 में वन अधिकारी दूदू की रिपोर्ट पर न्यायोचित आदेश न देकर वन विभाग द्वारा किये गये पौधारोपण एवं राजस्थान उच्च न्यायालय से निर्णित अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में पारित निर्णय वर्ष 2004

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के विरूद्ध तजबीज देकर राजकीय हितों की अनदेखी करके आदेश पारित किये हैं जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः यह प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28/06/2018 को अपास्त किया जाकर कृषि भूमि आवंटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत खातेदारी से विलोपित की जाकर राज्य सरकार के नाम पुनः अंकित की जावे जिसकी समर्पण के नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 16/09/1962 के अन्तर्गत यह भूमि सिवाय वक होकर वर्तमान वन विभाग के अन्तर्गत जो पेड़ पौधे लगाये गये हैं उनका पशुधन के हित में उपयोग हो सके ।

6. वकील अप्रार्थी संख्या 5 ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के लिए निर्धारित कार्यवाही पूर्ण नहीं है। भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। इस मामले में आसामी के द्वारा अपने कब्जा छोडने के लेखपत्र का हवाला नहीं दिया गया है। जिससे यह स्प ट है आसामी द्वारा ऐसा कोई लेखपत्र लिखा गया गया था या नही एवं तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी का आदेश किस सन्दर्भ में दिया गया है। यह भी कि धारा 56 के अनुसार कोई आसामी समर्पणकर्ता समर्पण करने से पहले भूमिधारी को धारा 55 के अन्तर्गत कोई भी समर्पण किये जाने से पहले, इस प्रकार समर्पण करने वाला आसामी अपने इस आशय का कि वह समर्पण करेगा, एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को एक माह से कम से कम 30 दिन पहले देगा। इस प्रकरण में समर्पण करने से पहले इस तरह का कोई नोटिस जारी किया गया है अथवा नहीं बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि धारा 55 के तहत के उद्देश्य के लिए धारा 56 के तहत निर्धारित आवश्यक प्रक्रियात्मक विधिक कार्यवाही की पूर्ति की गई है या नहीं। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये अनुसार इस भूमि के समर्पण का कब्जा लिया जाना अनिवार्य रहा है। इस प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें तथाकथित समर्पित भूमि का तहसीलदार द्वारा कब्जा लिया गया है अथवा नहीं। अभिभा ाक अप्रार्थीगण के द्वारा इस प्रकरण में न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के दो पत्र दिनांक 15.06.1966 तथा 02.11.1966 की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के द्वारा जिलाधीश जयपुर के समक्ष एक मु.नं. ता रजु दिनांक 15.06.1966 प्रस्तुत किया जिसमे जिला कलक्टर के समक्ष ग्रामवासी उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि वे अपनी भूमि को चारागाह के लिए देने के लिए देने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्हें यदि दूसरी जमीन दे दी जावे तो वे इस जमीन को देने के लिए तैयार है। कलक्टर जयपुर के द्वारा इस स्थिति में असल कागजात वापस तहसील को लिखा गया कि यदि गांव वालो को इस जमीन की आवश्यकता है तो इन ग्रामवासियों को दूसरी भूमि का अलाट करने का प्रस्ताव पास करके फिर पत्रावली मारफत एस.डी.ओ. के माध्यम से उचित आदेश भेजने का आदेश दिया गया। साथ ही एक अन्य आदेश दिनांक 02.11.1966 के द्वारा तहसीलदार को पत्र प्रे ित कर सूचित किया गया कि ग्राम मण्डाभीमसिंह पुरा में गोचर भूमि छुडाने के मामले में चारागाह घोषित करने की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण मे ना तो जिला कलक्टर जयपुर के द्वारा चारागाह के लिए भूमि का समर्पण स्वीकार नहीं किया गया तथा ना ही उक्त भूमि को चारागाह ही घो ित किया गया था। इसके विपरीत ग्रामवासियों के अनुरोध पर उन्हें अन्यत्र भूमि आंवटन किये जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से नया प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। जिला कलक्टर के इन निर्देशों की पालना की गई थी या नहीं। इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही चारागाह के लिए तथाकथित रूप से सिवायचक भूमि को चारागाह घोषित किये जाने की प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि कभी भी चारागाह नहीं रही है। प्रार्थी पक्षकार के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रति–दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकरण में विवादित आराजी आराजी वर्तमान में भागीरथ वल्द पन्ना मीणा के नाम से खातेदारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 पारित किया है जो उचित व विधिसम्मत है। अतः यह अपील अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र संख्या 38/2016 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ

राजस्व आयुक्त
जयपुर

रेनवाल बनाम भागीरथ पुत्र पन्ना न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 28.06.2018 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारो के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। जिससे जाहिर है कि अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 259 रकबा 18 बिस्वा किता 1 रकबा 18 सैटलमेन्ट खतौनी सम्वत 2011–2019 के खाता संख्या 149 के अनुसार भागीरथ वल्द पन्ना कौम मीणा सा. के नाम खातेदारी दर्ज रही है। खातेदारी को उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश दिनांक 03.05.1962 एवं तहसीलदार के आदेश क्रमांक 493/आर.ए. दिनांक 06.06.1962 के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 16.09.1962 द्वारा सिवायचक अंकित की गई। इस विवादित आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के द्वारा आवंटन कमेटी की दिनांक 28.05.1975 के निर्णय अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर नामान्तरकरण संख्या 635 दिनांक 06.07.1984 द्वारा सिवायचक से खातेदारी भागीरथ वल्द पन्ना कौम मीणा सा.देह को पुनः दर्ज की गई है। जिससे जाहिर है कि एक बार भूमि के समर्पण किये जाने, भूमि का नामान्तरकरण सिवायचक अंकित हो जाने के 20 वर्श बाद, 28.07.1976 को आंवटन सलाहकार समिति का सन्दर्भ अंकित करते हुए उपजिलाधीश का पत्र दिनांक 26.08.1982 बिना किसी प्रस्ताव एवं बिना किसी अधिकार बिना किसी जांच के पारित किया गया है। इस तरह का आदेश जारी करने का अधिकार काश्तकारी अधिनियम के अनुसार आंवटन कमेटी या उपजिलाधीश को नहीं है। भूमि गिदावरी व ा 2039 से 2070 तक बंजर दर्शाई गई है जिससे इस भूमि पर किसी का कब्जा काश्त नहीं होना स्प ट है। भागीरथ वल्द पन्ना कौम मीणा सा.देह के बाबत कोई निर्णय नहीं हुआ था, के लिए उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 26.08.1982 का आदेश Ab-initio void and illegal है। भागीरथ वल्द पन्ना कौम मीणा सा. देह के समर्पण किये जाने के बाद सिवायचक रहेगी। दिनांक 16.09.1962 के बाद उक्त भूमि पर खातेदारान द्वारा कोई का त नहीं की गई है। यह भूमि स्वेच्छा से सरेण्डर की जाकर चारागाह उपयोग के लिए छोडी गई थी। भूमि पर खेती नहीं होने तथा सार्वजनिक उपयोग हेतु पशुधन की चराई के उपयोग में यह भूमि चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में बंजड अंकित है। राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत सरेण्डर की गई भूमि सिवायचक अंकित हो जाने के बाद पूर्व खातेदार को भूमि का पुनः आंवटन नहीं किया जा सकता है। 1970 के नियमों के नियम 11 के तहत अलाटमेन्ट हेतु पात्र व्यक्तियों को ही आंवटन किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी ने कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के उपनियम 13 के अन्तर्गत आंवटन सलाहकार समिति की सिफारिश के बिना की गई उपरोक्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन है। आंवटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर आंवटन पात्र व्यक्तियों को की जानी चाहिए थी। सलाहकार समिति की राय के बिना की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकारीविहिन होने से निरस्त योग्य है। बिना कब्जे काश्त की विवादित भूमि के लिए वापिस किये जाने की कार्यवाही के लिए उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.08.1982 without ,oa jurisdiction illegal होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 पारित किया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक का आदेश क्रमांक विविध(82) 779 दिनांक 26.08.1982 से गत खातेदारान को पुनः आंवटन एवं प्रार्थना पत्र संख्या 38/2016 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार बनाम भागीरथ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2018 निरस्त



संभागीय आयुक्त जयपुर

किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश 26.08.1982 व उसके अन्तर्गत दर्ज व तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 635 दिनांक 06.07.1984 को निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 06.07.1984 के पश्चात हुये राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात को भी अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, तहसील किशनगढ रेनवाल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि वापस राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जावे।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।